फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या कार्यवाही की तारीख	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/1/25 को पेश हों।	
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/1/25 को पेश हों।	
9/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/1/25 को पेश हों।	
29/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 उप0। वकील उभयपक्ष उप0। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाकर (सुनाया गया) नियमानुसार कार्यवाही बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 201/2022
निर्णय दिनांक : 29.01.2025

उनवान

कल्याण पुत्र चंदा
गोरधन पुत्र चन्दा
जगदीश पुत्र चंदा
ज्ञानचन्द पुत्र चन्दा
नारायण पुत्र चंदा
समस्त जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. फुलचन्द पुत्र स्व० श्री सूजा जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता इन्द्रा सर्किल जे.एल.एन. मार्ग जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.01.2025

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि आज प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूध उक्त शीषर्कीय प्रार्थना पत्र ठोस व सुद्धढ तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता प्राप्ति की पुर्ण आशा है। प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकवा 03850 है०. खसरा न० 98 रकवा 0.07 है० कुल कित्ता 2 कुल रकवा 0.45980 वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है तथा अप्रार्थी सख्या एक की हाल खसरा न० 96/1 रकवा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वंर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या एक व अन्य सहकाश्तकारो की संयुक्त कृषि भूमि थी जिसका आपसी सहमति से विधिवत बटवारा वर्ष 2007 हो चुका है। जिसमे किसी प्रकार का कोई विप्रार्थना नही है। बटवारां होने के वाद उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस भूमाप सन 1983–84 सवत 2040–41 मे तरमीम किया गया जो सही है। जिस पर भी किसी प्रकार कोई एतराज व आपत्ति नही है। उक्त कृषि भूमि का नक्शो का कम्पयुटराईजकरण के दौरान जो नक्शा ट्रेस बनाये गये उसमे प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा ट्रेस परिर्वतन कर दिया तथा सम्वत 2040 से 2041 के अनुसार बटवारां के वाद बनाये गये नक्शा ट्रेस के अनुसार नही बनाया गया है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का गलत नक्शा ट्रेस बन जाने के कारण रकवा व हाल नक्शा ट्रेस मे मेल नही खाता है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि के नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर सन 1983–84 के अनुसार नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...अनुसार है। प्रार्थीगण का नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम हो जाने से अप्रार्थी संख्या एक नक्शे की ...की रकबा नक्शा ट्रेस से ज्यादा दर्शित हो गया है इस कारण अप्रार्थी संख्या एक नक्शा ट्रेस के ...पर जबरन प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश करने के लिए आमादा है। अप्रार्थी संख्या एक अपनी ...भूमि का अप्रार्थी संख्या दो के यहां से धारा 90क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के ...आवासीय भूमि मे परिवर्तन करवाकर नक्शा अनुमोदित करवाना चाहता है। अगर गलत तरमीम ...अनुसार अप्रार्थी संख्या दो अप्रार्थी संख्या एक का नक्शा अनुमोदित कर देता है तो प्रार्थीगण के ...ट्रेस की भूमि कम हो जायेगी। तथा रकबे व नक्शा ट्रेस में काफी परिवर्तन होने से प्रार्थीगण ...काफी नुकसान उठानां पडेगा। इस कारण प्रार्थीगण का पूर्व नक्शे के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस ...किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या दो के यहां पर प्रार्थना पत्र दिनाक .../11/2022 को प्रस्तुत करके निवेदन किया कि उक्त भूमि की धारा 90 (क) भू–राजस्व अधिनियम ...तहत कार्यवाही करने से पूर्व नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है तथा परन्तु अप्रार्थी संख्या दो ने इस पर कोई गौर नही किया तथा अप्रार्थी संख्या एक की भूमि का धारा 90 (क) भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शा अनुमोदन करने के लिए तत्पर है। तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 18/11/2022 को प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी संख्या तीन ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने के लिए कहा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक को दिनांक 30/10/2022 को निवेदन किया कि पहले उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस जो कि कम्पयुटराईजकरण के दौरान गलत हो गया है उसको दुरूस्त करवा ले परन्तु अप्रार्थी संख्या एक ने कोई ध्यान नही दिया तथा कहा कि मैं तो मेरी भूमि का धारा 90 क के तहत नक्शा अनुमोदितं करवाकर कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार ही नक्शा अनुमोदित करवाउगा। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश करना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस सन 1983–84 सम्वत 2040–41 मे बनाये गये नक्शा ट्रेस के अनुसार कम्पयुटराईज नक्शा ट्रेस बनाकर दुरूस्त किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नक्शा ट्रेस में किया जावे, तथा जब तक नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती नही हो जाती तब तक अप्रार्थी संख्या एक व दो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त कृषि भूमि का धारा 90 क भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार नक्शा अनुमोदित नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थी संख्या तीन को पाबन्द फरमाया जावे की वो राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। वाद कारण दिनांक 30/10/2022 को तब शुरू हुआ जब अप्रार्थी संख्या एक ने कम्पयुटराईज नक्शा दुरूस्त करवाने से इनकार करने तथा अप्रार्थी संख्या दो के यहां प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 15/11/2022 को धारा 90क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवासीय भूमि मे परिवर्तन कर नक्शा अनुमोदित नही करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा नक्शा अनुमोदित करने के लिए तत्पर होने तथा अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 18/11/2022 को प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या तीन के द्वारा प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही हेतु कहने से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि अप्रार्थी
1 दो को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि हाल आराजी कृ
खसरा न० 96 रकबा 0.3850 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा
है० व हाल खसरा न० 96/1 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील
जिला जयपुर के नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती नही हो जाती तब तक उक्त भूमि का धारा 90 क
राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार नक्शा अनुमोदित नही
मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में
प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थी संख्या तीन को पावन्द फरमाया जावे की वो राजस्व
की यथास्थिती बनाये रखे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये।
वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं 1 की ओर से वकील महेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।
दी सं 1 ने जवाब दावा दिनांक 08.02.2023 को पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी
2 व 3 फोरमल पार्टी है उनके विरूद्ध दिनांक 20.09.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
जाती है।

पत्रावली में बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में
थित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी एक व दो को ताफैसला दावा जरिये
स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 0.3850
खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.4550 है० व हाल खसरा न० 96/1
बा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शा ट्रेस मे
स्ती नही हो जाती तब तक उक्त भूमि का धारा 90 क भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही
कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार नक्शा अनुमोदित नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती
ाये रखे। प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।
प्रार्थी संख्या तीन को पाबन्द फरमाया जावे की वो राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने व वकील
उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुँचे है कि वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ
धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 0.3850
है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.4550 है० व हाल खसरा न० 96/1
रकबा 0.46 है० के राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमि का नक्शो का
कम्पयुटराईजकरण के दौरान जो नक्शा ट्रेस बनाये गये उसमे प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा ट्रेस
परिर्वतन कर दिया तथा सम्वत 2040 से 2041 के अनुसार बटवारां के बाद बनाये गये नक्शा ट्रेस
के अनुसार नही बनाया गया है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का गलत नक्शा ट्रेस बन जाने के
कारण रकबा व हाल नक्शा ट्रेस में मेल नही खाता है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि के नक्शा ट्रेस
को दुरूस्त किया जाकर सन 1983-84 के अंनुसार नक्शा ट्रेस दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे
आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी
कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 0.3850 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

..0 है० व हाल खसरा न० 96/1 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील ..नेर जिला जयपुर में अप्रार्थी एक व दो को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द ..ा जाता है कि नक्शा ट्रेस मे जब तक दुरूस्ती नही हो जाती तब तक उक्त भूमि का धारा 90 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार नक्शा अनुमोदित ..ी करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर